दैनिक
न्याय साक्षी

जनचौपाल में प्राप्त हुए 96 आवेदन, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

- जनचौपाल में कलेक्टर सिन्हा ने अध्ययन में सहयोग हेतु दृष्टिबाधित चुड़ामणी को दिया टेबलेट
- मीनकेतन के पेंशन प्रकरण का हुआ निराकरण, चन्द्रा वाहने का मौके पर बना राशन कार्ड
- कलेक्टर सिन्हा ने जनचौपाल में सुनी जनसामान्य की समस्याएं

रायगढ़ । विकासखंड घरघोड़ा के ग्राम कोनपारा निवासी दृष्टिबाधित दिव्यांग चुड़ामणी साहू आज जनचौपाल में अध्ययन में सहयोग हेतु सहायक उपकरण की मांग हेतु आवेदन लेकर आए थे, उन्होंने कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा को बताया कि वे दृष्टिबाधित है एवं कालेज में अध्ययनरत है, कलेक्टर सिन्हा के निर्देशन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा मौके पर कलेक्टर सिन्हा के हाथों साहू को टेलबेट प्रदान किया गया। इसी प्रकार विकासखंड पुसौर के ग्राम जकेला निवासी मीनकेतन यादव ने दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन किया था, कलेक्टर सिन्हा के निर्देशन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा यादव का पेंशन आवेदन का जांच कर निराकरण किया गया तथा उनके मांग के अनुरूप स्टिक भी प्रदान किया किया, इसी तरह जेल पारा रायगढ़ निवासी चन्द्रा वाहने राशन कार्ड बनाने आवेदन लेकर जनचौपाल में पहुंची थी, जिस पर खाद्य विभाग द्वारा मौके पर पात्रतानुसार अंत्योदय राशन कार्ड बना कर प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीइओ अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर कक्ष में आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर सिन्हा ने जनसामान्य से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। आज आयोजित जन चौपाल में कुल 96 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जन सामान्य की समस्याओं, मांग एवं शिकायत के प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

आयोजित जनचौपाल में ग्राम भूईकूर्री निवासी मोहित राठिया अपनी बिटियां के इलाज के लिए आवेदन लेकर जनचौपाल में पहुचे थे, उन्होंने कलेक्टर सिन्हा को बताया कि उनकी बेटी अहिल्या की आंखे कमजोर हो चुकी है एवं चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर सिन्हा से इलाज में आर्थिक सहयोग हेतु आग्रह किया, जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने सीएमएचओ को निर्देशित किया। सीएमएचओ ने परिजनों को इलाज के लिए चयनित हॉस्पीटल में इलाज में आने वाले खर्च का ब्यौरा लाने को कहा ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। मिट्ठुमुडा बजरंग चौक निवासी अनिल दास महंत आज जन चौपाल में जीवन-यापन के लिए व्यवसाय प्रारंभ करने आर्थिक सहयोग हेतु आवेदन दिया, उन्होंने बताया कि वे दिव्यांग है एवं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे परिवार के भरण-पोषण के लिए व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते है, उन्होंने कलेक्टर सिन्हा से व्यवसाय प्रारंभ करने आर्थिक सहयोग के लिए निवेदन किया। जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने समाज कल्याण एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को सहयोग के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार विकासखंड पुसौर के ग्राम बड़े हल्दी के ग्रामीण भू-अर्जन के तहत मुआवजा राशि की मांग आवेदन लेकर आए थे। ग्रामीणों की चर्चा कर कलेक्टर सिन्हा ने आवेदन निराकरण के लिए तत्काल ईई पीडब्लूडी को निर्देश दिए।

ग्राम नंदेली के ग्रामवासियों ने आश्रित ग्राम बैसपाली में राशन प्रदान की मांग आवेदन लेकर जनचौपाल में आए थे, उनका कहना था कि आश्रित ग्राम से उचित मूल्य की दुकान की दूरी अधिक होने से ग्रामीणों को समस्या होती है। उन्होने आश्रित ग्राम में उचित मूल्य की दुकान प्रारंभ करने का आग्रह किया।

कलेक्टर सिन्हा ने ग्रामीणों के आग्रह पर खाद्य विभाग को आश्रित ग्राम में राशन प्रदान करने निर्देशित किया। लामीदरहा निवासी लक्ष्मी पीएम आवास हेतु आवेदन लेकर पहुंची थी। कलेक्टर सिन्हा ने आवेदन के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इसी प्रकार आज आयोजित जन चौपाल में पेंशन, राशन, राजस्व, चिकित्सा, पेयजल, भू-अर्जन, विद्युत, शिक्षा, पेंशन, राशन आदि के आवेदन भी आए हुए थे, जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने संबंधित विभागों को प्राप्त आवेदनों की जांच कर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर डी.आर.रात्रे एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण एवं खास

अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्य हेतु खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय

रायगढ़ । कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य (मुद्रांक एवं पंजीयन) आय शासन को अधिक से अधिक राजस्व प्रदाय करने के उद्देश्य के साथ ही जनसुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से अवकाश के दिनों में पंजीयन कार्यालय को खुले रहने के निर्देश दिए है। जिसके तहत शासकीय अवकाश 25 मार्च शनिवार, 26 मार्च रविवार एवं 30 मार्च 2023 गुरूवार रामनवमी के दिनों में भी उप पंजीयक कार्यालय पंजीयन कार्य हेतु खुले रहेंगे। इसी तरह माह मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में 30 एवं 31 मार्च को स्टाम्प व्हेन्डरों को कोषालय/उप कोषालय से स्टाम्प इश्यू कराया जाएगा। संबंधित भारतीय स्टेट बैंक को माह के अंतिम दिन 31 मार्च 2023 जैसी स्थिति हो देर रात्रि अर्थात रात्रि 10 बजे तक पंजीयन विभाग के चालान लिए जाने निर्देशित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कलेक्टर दर से होगी अस्थायी नियुक्ति

रायगढ़ । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कलेक्टर दर से अस्थायी नियुक्ति किए जाने संबंधी विभिन्न पदों को सम्मिलित करते हुए 27 पदों की पूर्ति हेतु जानकारी ऑनलाईन गूगल फार्म के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। उक्त जानकारी के संबंध में समस्त दिशा-निर्देश जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। अभ्यर्थी जिले की वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

तेज रफ्तार कार ने मासूम को रौंदा : मौके पर हुई मौत , पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन चालक को पकड़ा

बलरामपुर (आरएनएस)। जिले में तेज रफ्तार कार ने मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पूरे गांव में दु:ख का लहर झा गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। इस घटना के बाद वाहन लेकर चालक फरार हो गया था। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर वाहनचालक को पकड़ा लिया गया। यह पूरा मामला त्रिकुंडा थाना के नावाडीह मुख्य मार्ग का है।

42 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत

कोरबा (आरएनएस)। पुरानी बस्ती में निवासरत एक 42 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो जाने की जानकारी मिली हैं। जिसे कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए कोरबा पुरानी बस्ती कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया हैं। जानकारी के अनुसार कोरबा पुरानी बस्ती निवासी एक 42 वर्षीय महिला जो बिलासपुर अपने ससुराल में रह रही थी। जिन्हें 15 मार्च को सर्दी-खांसी की शिकायत के बाद स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। जहाँ कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। दूसरे दिन फिर तबियत बिगडऩे पर बिलासपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां जांच के बाद निमोनिया होने के साथ ही ऑक्सीजन लेबल कम होने पर उसे वेंटिलेटर में रखा गया साथ ही कोविड जांच की गई जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महिला की मौत के बाद संपर्क में आने वालों ने किया खुद को आइसोलेट:-दो दिन के इलाज के बाद उक्त महिला की मौत हो गयी।

हत्या : पिता से विवाद पर बेटे ने लकड़ी से पीटा, वृद्ध पिता की हुई मौत

- आरोपी ने अस्पताल में उसके पिता को पेड़ से गिरना बताया
- लैलूंगा पुलिस की जांच में सामने आया हत्या का सच

रायगढ़। ग्राम घियारमुडा लैलूंगा के खगेश्वर मांझी (62 साल) को उसके वारिशान ईलाज के लिये सीएचसी लैलूंगा लेकर आये। डॉक्टर द्वारा चेक कर घायल खगेश्वर मांझी को मृत बताया गया। मृतक का बेटा रामलाल मांझी अस्पताल स्टाफ को उसके पिता के पेड़ से गिरने से चोट आना बताया। डॉक्टर ने मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर लैलूंगा पुलिस को सूचना दिये। जांच में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक रामशंकर तिवारी अपने स्टाफ के साथ सीएचसी पहुंचे। मृतक के बेटे रामलाल मांझी से पूछताछ के बाद उसे साथ उसके घर लेकर गये। घरवालों से पूछताछ पर रामलाल की लड़की ने बताया कि 18.03.2023 के रात उसके पिता और दादा खगेश्वर के बीच झगड़ा मारपीट हुआ था जिसमें उसके पिता रामलाल ने लकड़ी के फाडी से दादा खगेश्वर को पीटना बताई। रामलाल मांझी से कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपने पिता की हत्या करना कबूल कर घटना का वृतांत बताया।

आरोपी रामलाल मांझी (उम्र 35 वर्ष) बताया कि उसके पिता खगेश्वर मांझी घर के सामनों को बेच देता था। 18.03.2023 को सुबह पिता जी घर के चावल को बेच रहा था जिसे मना किया तो झगड़ा विवाद करने लगा जिसे हाथ मुक्का से मारपीट कर लकड़ी के फाडी से सिर, हाथ, पैर में मारा जिससे वह बेहोश हो गया था। घर परिवार के लोगों को मारपीट, झगड़ा किसी को बताने से मना किया था। घटना के संबंध में गांव के जागेश्वर मांझी के रिपोर्ट पर आरोपी रामलाल मांझी के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फाड़ी जप्त किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक आर.एस. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक टी.आर. खुंटिया, एएसआई चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी की प्रमुख भूमिका रही है।

पुसौर विकासखंड में औसत 26.5 मीटर और अधिकतम 85 मीटर नीचे जा चुका है वाटर लेवल

- सिंचाई के लिए भू-जल के लगातार उपयोग से गिर रहा भू-जल स्तर
- नहरों से होगा दोहरा फायदा भू-जल के उपयोग में आएगी कमी और ग्राउंड वाटर भी होगा रिचार्ज
- सिंचाई विभाग केलो परियोजना के नहरों का कार्य करवा रहा है पूरा

रायगढ़ । वर्षा आधारित कृषि में सिंचाई की समुचित व्यवस्था बहुत आवश्यक है। ताकि फसलों को आवश्यकतानुसार मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सके। सिंचाई के लिए अधिकतर भू-जल पर ही निर्भरता होती है। लेकिन लगातार भू-जल का दोहन और सिंचाई के साथ अन्य प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग भू-जल स्तर को नीचे गिरा रहा है। जिससे गर्मी के मौसम में कई स्थानों में पेयजल की समस्या भी बड़े पैमाने पर उभर के सामने आती है। जिससे निपटने में ऐसी व्यवस्थाएं जरूरी हैं जो दीर्घकाल तक भू-जल को रिचार्ज करने का स्थायी समाधान दे। जिले में केलो परियोजना और उससे निर्मित नहरों का जाल इस दिशा में काफी कारगर साबित होंगे। सिंचाई, पेयजल और निस्तार के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिंचाई विभाग केलो परियोजना का काम पूरी तेजी से पूर्ण करवाने में लगा हुआ है।

कार्यपालन अभियंता पीएचई परीक्षित चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ समय में विकासखण्ड पुसौर एवं बरमकेला में भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट देखने को मिला है। इस वर्ष विकासखण्ड पुसौर में औसत भू-जल स्तर 26.5 मी.एवं अधिकतम भू-जल स्तर 85 मी.तक जा चुका है। विकासखंड बरमकेला में औसत भू-जल स्तर 28.6 मी.एवं अधिकतम भू-जल स्तर 135 मी. तक जा चुका है। भू-जल स्तर गिरने से विकासखंड पुसौर में लगभग 118 हैण्डपंप एवं बरमकेला में 400 हैण्डपंप बंद हो चुके है। उन्होंने कहा कि इन विकासखण्डों में भू-जल स्तर की वृद्धि के लिये सतही स्त्रोत आधारित सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे सिंचाई हेतु भू-जल का उपयोग कम होगा एवं भू-जल स्तर में वृद्धि होगी।

बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से हमे मिलता है। जिसका यदि समुचित प्रबंधन किया जाए तो वह मुश्किल समय में बड़े काम आता है। बांधों का निर्माण इस उद्देश्य से ही किया जाता है कि बारिश के अतिरिक्त जल को व्यर्थ बहने से रोककर उसे संचय किया जा सके। जिसे बाद में नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए दिया जा सके।

केलो परियोजना के तहत नहरों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी तो मिले ही साथ ही इस पूरे क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज होता रहे। जिससे आने वाले समय में भू-जल स्तर को मेंटेन कर के रखा जा सके।

एक नंबर प्लेट से चला रहे थे दो ट्रेलर वाहन, कोतरा रोड पुलिस और साइबर सेल टीम ने किया धोखाधड़ी का पर्दाफाश : ट्रेलर वाहन का मालिक, ड्राइवर और वाहन मिस्त्री गिरफ्तार

- आरोपियों से एक ट्रेलर वाहन ट्रॉली सहित और एक ट्रेलर बगैर ट्राली किया गया जब्त

रायगढ़। ट्रक, ट्रेलर जैसे भारी वाहनों की चोरी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा थाना, चौकी प्रभारियों को ऐसी चोरियों में ट्रांसपोर्ट से जुडे लोग, मोटर गैराज में काम करने वाले लोगों की संलिप्तता होने को लेकर जिले के मोटर गैराज, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में मुखबीर लगाकर तस्दीक करने का दिशा निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देशों के पालन में कोतरारोड़ पुलिस द्वारा क्षेत्र के मोटर गैराज की तस्दीक किया जा रहा है। इसी क्रम में कल 19 मार्च के दोपहर कोतरारोड़ थाने के सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद राठौर ने गोरखा के एक गैराज में खड़े 2 ट्रेलर वाहन पर एक ही नंबर लगा देखें। एएसआई राजेंद्र राठौर ने थाना प्रभारी कोतरारोड़ तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए मामले की तफ्तीश में जुटे तो धोखाधड़ी के खेल में वाहन स्वामी, वाहन मिस्त्री और वाहन चालक की संलिप्तता पाये जिन पर धोखाधड़ी के अपराध पंजीबद्ध करते हुए कोतरारोड़ पुलिस और सायबर सेल की टीम तीनों आरोपियों को खेजबिन कर हिरासत में लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक कल कोतरारोड़ पेट्रोलिंग के स्टाफ राधे किशन गैरेज गोरखा में एक खडी ट्रेलर वाहन के ट्राली पीछे में नंबर प्लेट पर सीजी 13 एलए 6555 लिखा हुआ देखे जिसके सामने बम्फर में प्लेट नही लगा है। उसी के बगल में खड़ी दूसरे ट्रेलर वाहन के सामने बम्फर पर सीजी 13 एलए 6555 लिखा हुआ है। एक ट्रेलर का इंजन और चेचिस नंबर रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी 13 एलए 6555 से मिलान हुआ तथा एक वाहन का इंजन और चेचिस अस्पष्ट है। मौके पर मौजूद वाहन चालक राम कुमार दहायत, नंबर प्लेट बदली करने वाले गैरेज में उपस्थित मिस्त्री राधाकृष्ण धाकड से पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज व जानकारी प्रस्तुत नहीं किये। आरोपियों के द्वारा अन्य व्यक्तियों से मिलकर दो ट्रेलर वाहनों में एक ही नंबर प्लेट लगाकर असली के रूप मे उपयोग में लाने के लिए छल के प्रयोजन से कपटपूर्वक कूट रचना कारित करना पाये जाने से आरोपियों पर अप.क्र. 168/2023 धारा 420,468,471,34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सायबर सेल और कोतरारोड़ पुलिस द्वारा वाहन मालिक, वाहन मिस्त्री और वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वाहन चालक से राधाकृष्ण गैराज में खड़ी 14 चक्का ट्रेलर वाहन सीजी 13 एलए 6555 मय ट्राली एवं मिस्त्री राधाकृष्ण धाकड से बिना ट्राली ट्रेलर वाहन 06 चक्का सीजी 13 एलए 6555 जप्त किया गया है। कोतरारोड़ पुलिस और सायबर सेल की टीम चोरी वाहनों के भी इस प्रकार के उपयोग में लाये जाने की ओर जांच विवेचना किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा-निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा, डीएसपी(IUCAW) निकिता तिवारी के मार्गदर्शन पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र राठौर के साथ कोतरारोड़ एवं साइबर सेल की अहम भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी-

(1) राधाकृष्ण धाकड़ पिता मदनलाल धाकड़ उम्र 34 साल निवासी माताजी खेड़ा थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) हाल मुकाम गोरखा थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

(2) राजकुमार दहायत पिता गंगाराम उम्र 34 साल निवासी नारायणपुर थाना रामनगर जिला सतना (मध्य प्रदेश) हाल मुकाम गोरखा थाना कोतरारोड जिला रायगढ़

(3) रमेश बिश्नोई पिता स्वर्गीय प्रेम चंद बिश्नोई उम्र 40 साल निवासी तलवंडी बादशाहपुर थाना हिसार जिला हिसार (हरियाणा) हाल मुकाम कृष्णा विहार कॉलोनी थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

दुर्लभ प्रजाति के जीव की तस्करी करते 3 शिकारी गिरफ्तार, करोड़ों रुपयों के सिल्क जब्त

सूरजपुर (आरएनएस)। वन विभाग ने घुइ वन परिक्षेत्र में पैंगोलिन की तस्करी करने की फिराक में घूम रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 10 किलो पैंगोलिन का सिल्क जप्त किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।

दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि घूई रेंज के रामकोला इलाके में कुछ लोग पैंगोलिन के सिल्क को बेचने की फिराक में है। जानकारी मिलने के बाद छ्रस्नह्र सूरजपुर ने टीम गठित कर एक सदस्य को ग्राहक बनाकर तस्करों के पास भेजा और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम चरकू, ततगु और विजय बताया जा रहा है, सभी रामकोला इलाके के ही निवासी हैं, फिलहाल वन विभाग ने सभी आरोपियों पर वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

अलग-अलग दो मामलों में 2 आरोपियों से 20 लीटर महुआ शराब और बाइक जब्त

- अवैध शराब पर कोतरारोड़ पुलिस की कार्यवाही जारी

रायगढ़। थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में कल शाम कोतरारोड़ पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर बोकरामुडा से तारापुर की ओर मोटर सायकल सुपर स्पलेंडर CG 13 AA 4951 में महुआ शराब जरकिन में लेकर आ रहे आरोपी भोला राम निषाद पिता स्व0 गणेश राम निषाद उम्र 48 साल सा. सहदेवपाली थाना जूटमिल जिला रायगढ़ ग्राम तारापुर पुलिया के पास नाकाबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है। शराब के अवैध परिवहन पर आरोपी से बाइक व अवैध शराब की जब्ती की गई है।

इसी क्रम में आज सुबह कोतरारोड़ पुलिस ने मुखबिर सूचना पर कोसमनारा चौक मेन रोड किनारे आरोपी अजय गोप पिता स्व. रमराई गोप ग्राम सोनवा बस्ती कुईडा थाना सोनवा जिला पंचायत सिदमुम झारखण्ड हाल मु0 वार्ड नं0 08 फूलचंद का किराया का मकान किरोडीमल नगर थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ को एक प्लास्टिक थैला में 10 लीटर क्षमता वाली जरिकेन में 10 लीटर महुआ शराब कीमत 1,000/- रूपये के साथ पकड़ा गया है।

आरोपी शराब अवैध बिक्री के लिये लेकर जाना बताया। थाना कोतरारोड़ में दोनों आरोपियों पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवही कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, महेन्द्र खरे, आरक्षक कमलेश यादव, गोविंद पटेल, देव कुमार सोनवानी की अहम भूमिका रही है।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कलेक्टोरेट के 37 लिपिकों के बदले प्रभार

रायगढ़ । कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा कार्यालयीन कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के उद्देश्य से राजस्व स्थापना अंतर्गत जिला मुख्यालय रायगढ़ के विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों में पदस्थ 37 कर्मचारियों को आगामी आदेश पर्यन्त नवीन पदस्थापना में कार्य करने हेतु आदेश जारी किया है।

इनमें सहायक अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार पण्डा को अपने कार्यों के साथ-साथ जिला कार्यालय के भू-अर्जन शाखा में पदस्थ किया गया है। इसी तरह सहायक ग्रेड-2 सुरेश लक्ष्मे को रीडर अपर कलेक्टर-01 (एस) (पदस्थापना परिवर्तन), सहायक ग्रेड-2 जीवधन डनसेना को संलग्नीकरण समाप्त करते हुए पूर्ववत खाद्य शाखा, सहायक ग्रेड-2 गौरी श्रीवास्तव को शिकायत/सामा. अभि.कोष्ठ/पासपोर्ट शाखा, सहायक ग्रेड-2 सत्येन्द्र मेहर को कलेक्टर रीडर, सहायक ग्रेड-2 रामदयाल पटेल को वित्त स्थापना, सहायक ग्रेड-2 रमाकांत स्वर्णकार को सहायक अधीक्षक (रा.), सहायक ग्रेड-2 सूरज कुमार खर्रा को कलेक्टर स्टेनो-01, सहायक ग्रेड-2 गोविन्द राम परधान को खाद्य शाखा, सहायक ग्रेड-2 राजकुमार सिदार को जिला कार्यालय रायगढ़ सूचना का अधिकार शाखा/ जनगणना/बीस सूत्रीय, सहायक ग्रेड-2 जानकी यादव को वरिष्ठ लिपिक/शास. आवास गृह आबंटन, सहायक ग्रेड-2 पदमा देवांगन को अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, सहायक ग्रेड-2 डीकाराम शेष को राजस्व लेखापाल/राजस्व आपदा शाखा, सहायक ग्रेड-2 सुश्री मधुबाला उके को अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़ (पदस्थापना परिवर्तन), सहायक ग्रेड-2 हेमप्रसाद साव को जिला नाजिर, स्टेनोग्राफर वर्ग-2 संदीप कुमार यादव को कलेक्टर स्टेनो-2, सहायक ग्रेड-3 मुकेश कुमार को सहायक भू-अर्जन शाखा के कार्यों के साथ वित्त लेखा/देयक लिपिक के सहयोग, सहायक ग्रेड-3 विनोद कुमार साहू को राजस्व लेखापाल के सहायक बनाये गये है।

सहायक ग्रेड-3 उमेश कुमार यादव को विभागीय जांच/न्यायिक लिपिक के सहायक, सहायक ग्रेड-3 कुलदीप खैरवार को अपने कार्यों के साथ-साथ पुरातत्व एवं संस्कृति/पर्यटन, सहायक ग्रेड-3 बेरनार्ड एक्का को लायसेंस शाखा का संपूर्ण प्रभार एवं समय-समय पर स्थापना लिपिक के सहयोग, सहायक ग्रेड-3 रूपेश कंवर को सहायक शिकायत शाखा का प्रभार दिया गया है। इसी तरह सहायक ग्रेड-3 कु.रेखा धुरवे को सहायक रीडर अपर कलेक्टर-01 (एस.),सहायक ग्रेड-3 कु.सुनिता लकड़ा को व्यवहारवाद/सोलेशियम फण्ड/अ.अ.ऊ.के कार्यों के साथ-साथ सहायक अधीक्षक (रा.)के सहायक, सहायक ग्रेड-3 कु.फ्रांसिस्का खलखो को सहायक वरिष्ठ लिपिक साथ-साथ चिटफंड शाखा, सहायक ग्रेड-3 प्रशांत कुमार पण्डा को समय-सीमा/ अधीक्षक शाखा/ प्रपत्र लिपिक, सहायक ग्रेड-3 कलेश्वर चौहान को सहायक वित्त लेखा/देयक लिपिक, सहायक ग्रेड-3 कु.अनिता महंत को तहसील कार्यालय रायगढ़, सहायक ग्रेड-3 विरेन्द्र कुमार राठिया को रीडर न्यायालय अपर कलेक्टर-2 (आर),सहायक ग्रेड-3 रामप्रसाद सिदार को तहसील कार्यालय रायगढ़ (पदस्थापना परिवर्तन), सहायक ग्रेड-3 प्रदीप राठिया को अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ लोक सेवा गारंटी शाखा, सहायक ग्रेड-3 आनंद ठेठवार को कलेक्टर रीडर के सहायक/राजस्व मोहर्रिर, स्टेनोटायपिस्ट वंदना झरिया को कार्यवाही विवरण अपर कलेक्टर स्टेनो (आर.), स्टेनोटायपिस्ट अल्पा बेहरा को स्टेनो टू एडीएम, स्टेनोटायपिस्ट राजेश सिंह कंवर को अवकाश रक्षित, सहायक ग्रेड-3 कु.दीपा कश्यप को कलेक्टर जनदर्शन/मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन/जनसंवाद (पदस्थापना परिवर्तन)एवं सहायक ग्रेड-3 मीना देवांगन को आवक शाखा जिला कार्यालय (पदस्थापना परिवर्तन)के पद पर पदस्थ किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480